रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 226] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 1975/आषाढ़ 10, 1897

No. 226] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 1975/ASADHA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

ORDER

New Delhi, the 30th June, 1975

S.O. No. 293(E).—In pursuance of Clause 9 of the Aluminium (Control) Order, 1970, the Central Government hereby authorises all the Gazetted Officers of the Central Excise Department of that Government not below the rank of a Superintendent, to exercise all the powers under the said clause.

[No. 5(162)/74-Met.I]

S. K. MUKHERJEE, Addl. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 1975

सां० सं० एस० ओ० नं० 293(ई).—एल्यूमिनियम (नियंत्रण) आदेश, 1970 की धारा 9 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के उन सभी राजपत्रित अधिकारियों, जो अधीक्षक के रैंक से कम न हों, को उक्त धारा में प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

[सं० 5(162)/72 मे० I]

एस० के० मुखर्जी, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975